

**न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़**

**पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस**

प्रकरण सं० : 37/2022

अनवान :

रायसिंह पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी भानगढ़ तहसील भादरा।

:- वादी

**बनाम**


1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
2. मानसिंह पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी भानगढ़ तहसील भादरा।
3. सुरेन्द्र पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी भानगढ़ तहसील भादरा।
4. सुमन पुत्री रामसिंह पत्नी बलवान जाति जाट निवासी भानगढ़ तहसील भादरा हाल निवास बेजलपुर त0 व जिला फतेहाबाद (हरि0)।
5. सुदेश पुत्री रामसिंह पत्नी रणजीत जाति जाट निवासी भानगढ़ तहसील भादरा हाल निवास बेजलपुर त0 व जिला फतेहाबाद (हरि0)।
6. सुनिता पुत्री रामसिंह पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी भानगढ़ तहसील भादरा हाल निवास बेजलपुर त0 व जिला फतेहाबाद (हरि0)।
7. सन्तोष पुत्री रामसिंह पत्नी अनील जाति जाट निवासी भानगढ़ तहसील भादरा हाल बालक तह0 व जिला हिसार (हरि0)।
8. कविता देवी पुत्री रामसिंह पत्नी सुनिल जाति जाट निवासी भानगढ़ हाल बालक तह0 व जिला हिसार (हरि0)।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री महेश बंशल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री धर्मपाल बैरवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भाडी के खाता सं 278/274 के खसरा सं 303 की 4.3140 है0, खसरा सं 500 की 2.6820 है0, खसरा सं 510 की 1.822 है0, खसरा सं 588 की 5.4390 है0, खसरा सं 635 की 1.417 है0 कुल खसरा 5 की कुल 15.674 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में सोना पत्नी मानकराम जाति जाट निवासी भानगढ़ का 119/461 हिस्सा यानी 4.046 है0 जिसमें वादी रायसिंह का 2.530 है0 व प्रतिवादी सं. 2 ता 8 का संयुक्त रूप से 1.5160 है0 के खातेदार काश्तकार है व खाता सं 312/276 के खसरा सं 499 की 6.0210 है0, खसरा सं 501 की 1.619 है0 कुल खसरा 2 की 7.6400 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि सोनादेवी पुत्री श्यामाराम जाति जाट के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि में वादी रायसिंह का 5.060 है0 व प्रतिवादी सं 2 ता 8 का संयुक्त रूप से 2.580 है0 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19.07.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



  
सहायक कलक्टर  
(शकुन्तला चौधरी) भादरा

R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)

भादरा, जिला हनुमानगढ़